

## देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

-: अधिसूचना :-

अधिसूचना संख्या 848 / भू अ०

दिनांक : 19/9/18

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-तेतरिया, थाना-देवघर, थाना सं०-605, अंचल-देवघर, जिला-देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना देवघर-मधुपुर पथ उन्नयन परियोजना हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-तेतरिया, थाना-देवघर, थाना सं०-605, अंचल-देवघर, जिला-देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 1.96 एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है -

क. स.	खात सं.	सर्व भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	रैयती	बाड़ी-2	0.11	रंथु महतो वो भुनेश्वर महतो वो गोवर्धन महतो पे० मुंशी महतो अंश समान सा० देह।	मौजा भित्ति या, थाना संख्य T 595	अर्जित भूमि का अंश रकवा	मौजा करन कोल थाना संख्या 597	रोड
2	2	284	रैयती	बाड़ी-2	0.01	तथैव।				
3	6	274	रैयती	बाड़ी-2	0.06	काशी महतो वो प्रयाग यादव पे० खिखरी महतो अंश समान सा० देह।				
4	7	138	रैयती	धानी-3	0.04	बच्चू महतो पे० मिशरी महतो सा० देह।				
5	8	132	रैयती	वाग आम	0.05	रूपलाल महतो वो सत्यनारायण महतो वो सूर्यनारायण महतो पे० रघुनन्दन महतो वो चन्द्रावती देवी पति भूतनाथ महतो वो सुमन्ती देवी पति रामदेव महतो वो प्रदीप यादव वो सरस्वती देवी पे० रुशन महतो वो सुनीता देव्या पति सुनील यादव वो सावित्री देव्या पति गणेश महतो वो जालेश्वर यादव पे० बुधन महतो वो चिन्तामणी महतो पे० बाबुलाल महतो वो हुबलाल महतो वो जगदीश महतो वो जागेश्वर महतो पे० मटुकी महतो वो गोवर्धन महतो वो राधा महतो वो बलराम महतो वो जवाहर महतो वो मोती महतो पे० टेकलाल महतो वो टुसिया देवी वो मालती देवी माता शंकरा देवी वो बालदेव यादव वो जामुन यादव वो सुरेश महतो वो हरि महतो पे० छेदी महतो वो अयोध्या महतो पे० पांचु महतो अंश समान सा० देह।				
6	8	278	रैयती	बाड़ी-2	0.10	तथैव।				
7	8	272	रैयती	बाड़ी-2	0.02	तथैव				
8	8	141	रैयती	धानी-3	0.01	रूपलाल महतो वो सत्यनारायण महतो वो सूर्यनारायण महतो पे० रघुनन्दन महतो वो चन्द्रावती देवी पति भूतनाथ महतो वो सुमन्ती देवी पति रामदेव				

*Yad*  
19-09-2018

*9*

						महतो वो प्रदीप यादव वो सरस्वती देवी पे० रूपन महतो वो सावित्री देव्या पति भेरो महतो वो लगनी देव्या पति गणेश महतो वो सुनिता देव्या पति सुनिल यादव अंश समान सा० देह।				
9	10 /क	$\frac{3}{970}$	रैयती	बाड़ी-2	0.12	दुलारी देवी माता डहरी महतवाईन वो रामू महतो माता महदी महतवाईन वो मिशरी मांझी वो गोपाल मांझी वो जगदेव मांझी अंश समान सा० कोठिया।				
10	10 /क	275	रैयती	बाड़ी-2	0.03	तथैव।				
11	12	4	रैयती	बाड़ी-2	0.03	मुशो महतो वो चानो महतो पे० कंटु महतो वो सुनैना देवी वो अनिता देवी पिता स्व० गोविन्द महतो वो ठाकुर महतो वो राधेश्याम महतो वो बिहारी महतो पिता स्व० भागु महतो अंश समान सा० देह।				
12	12	283	रैयती	बाग आम	0.04	तथैव।				
13	14	277	रैयती	बाड़ी-2	0.03	सुरेन्द्र प्रसाद यादव वो रामदेव यादव वो मनोज यादव वो देवनी देवी पे० फागु महतो अंश समान।				
14	16	133	रैयती	बाड़ी-2	0.15	पोखन इदास पे० लोको महता वो हिरिया देव्या पति बंशी दास अंश समान सा० देह।				
15	19	129	रैयती	धानी-3	0.05	सुकदेव महतो वो सुरेश महतो पे० फागु महतो अंश समान सा० देह।				
16	21	134	रैयती	धानी-2	0.16	नकुल दास वो सहदेव दास पे० गुदर दास वो बेगनी देवी पति राम दास वो नागेश्वर महरा पे० दुखन दास वो भुवनेश्वर दास वो गोपाल दास पे० जीवन महरा अंश समान सा० देह।				
17	24	137	रैयती	बाड़ी-2	0.53	सीता देव्या पति ईश्वरी महरा अंश समान सा०, देह।				
18	25	2	रैयती	बाड़ी-2	0.27	चिमनी महतवाईन पे० लुटन महतो वो ठाकुर महतो वो राधेश्याम महतो वो बिहारी महतो माता अझोला देवी वो जामुन महतो माता मखनी देवी वो बिजली देवी पति चुड़ी महतो अंश समान सा० देह।				
19	25	206	रैयती	धानी-3	0.03	तथैव।				
20	25	207	रैयती	धानी-3	0.01	तथैव।				
21	25	209	रैयती	धानी-3	0.02	तथैव।				
22	28	273	रैयती	बाड़ी-2	0.04	हरखु महतो वो पोचो महतो पे० खुदी महतो (ज०रै०)				
23	28	140	रैयती	धानी-3	0.05	तथैव।				
कुल रकवा-					<b>1.96</b>					



यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियों हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

19-9-18  
जिला भू अर्जन पदाधिकारी  
देवघर  
19/9/18

19-09-2018  
अपर समाहर्ता  
देवघर

19/9/18  
समाहर्ता-सह-उपायुक्त,  
देवघर।

ज्ञापांक ...848... / भू अ0, देवघर, दिनांक .....19/9/18.....

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।

19-9-18  
जिला भू अर्जन पदाधिकारी  
देवघर  
19/9/18

19-09-2018  
अपर समाहर्ता  
देवघर

19/9/18  
समाहर्ता-सह-उपायुक्त,  
देवघर।